(b) if so, what are the details of the steps Government propose to take to improve the condition of Block 31, 32 and 33 of Vishwas Nagar, Delhi-32 in the near future?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Unauthorised construction in Andha Mughal, Delhi

1758. SHRI M. MOSES: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some cases of demolition of unauthorised construction in 'L' Block Andha Mughal, Delhi are pending;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government propose to take in the matter and by when?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) and (b) The MCD has reported that some cases of demolition of unauthorised contructions in L-Block Andha Mughal, Delhi are pending as per details given below:—

(i) Unauthorised construction of Bathroom and Latrine Block was booked in respect of property No. L-45, Andha Mughal.

(ii) Unauthorised construction of Kitchen, Latrine Block and Bathroom was booked in respect of property No. L-51, Andha Mughal

(iii) Unauthorised construction of Chajja was booked in respect of property No. L-51, Andha Mughal.

(c) The M.C.D. has reported that the owner of property number L-51, Andha Mughal, has brought a stay order from the Court and no demolition action can be taken till the stay order is in operation. As regards L-45, the MCD has stated that unauthorised Bathroom and Latrine block are inside the residential property. The information re: the action proposed to be taken in respect of this is being ascertained and will be placed on the table of the Sabha.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के मकानों और प्लाटों का आबंटन

1759. श्री राम भगत पासवान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के कितने मकान बनाये हैं और इनमें से कितने मकानों का आबंटन कर दिया है ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक विभिन्न श्रेणियों के कितने आवासीय प्लाट आबंटित किये गये हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने कितने प्लाट और मकान आबंटित किये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने उच्च आय वर्ग श्रेणी का कोई मकान नहीं बनाया है और मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग श्रेणियों के अन्तर्गत अभी तक बनाये गये मकानों की संख्या इस प्रकार है :—

मध्यम आय वर्ग	22471
निम्न आय वर्ग	26386

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि मध्यम आय

वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के आबंटित मकानों की संख्या लगभग 45,200 है ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने 31-3-1982 तक विभिन्न योजनाओं में 23,430 रिहायशी प्लाटों का आबंटन किया है जिसमें 5820 मध्यम आय वर्ग प्लाट, 14,669 निम्न आय वर्ग प्लाट तथा वैकल्पिक आबंटन के रूप में 2950 प्लाट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रोहिणी, योजना के अन्तर्गत 14-7-82 को निकाली गई प्रथम लाटरी में 10,286 रिहायशी प्लाट आबंटित किये गये जिनमें 1598 मध्यम आय वर्ग, 4078 निम्न आय वर्ग तथा 4610 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता प्लाट शामिल है तथा झुग्गी-झोपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत विभिन्न पुनर्वास कालोनियों में लगभग 2,07,000 प्लाट आबंटित किये गये हैं। इसने यह भी बताया है कि ग्रुप आवास समितियों को आबंटित भूमि में से लगभग 30,000 प्लाट काटे गये हैं।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भूमि अर्जन के बदले में किये गये वैकल्पिक प्लाटों के मामले को छोड़ कर रोहिणी सहित रिहायशी प्लाटों के आबंटन की प्रत्येक योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत का आरक्षण है। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के लगभग 2,900 मकान आबंटित किये गये हैं।

दिल्ली में निजी मकानों वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

1760. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें मकान बनाने के लिए ऋण दिया गया है और जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं

(ख) ऐसे कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके अपने निजी मकान भी हैं और सरकार आवास भी मिला हुआ है ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने सरकारी ऋण की सहायता से निजी मकान बना लिए हैं, सरकारी आवास आबंटित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनसे सरकारी आवास खाली करवाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) अपने मकान वाले लगभग 2000 सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल दिल्ली में सामान्य पूल से सरकारी वास आबंटित किया गया है । यह सूचना कि इनमें से कितने कर्मचारियों ने सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण से अपने मकान बना लिए हैं उपलब्ध नहीं है क्योंकि सामान्य पूल वास के लिए, आवेदन करते समय इस तथ्य को बताने की अपेक्षा नहीं है ।

(ग) अपना मकान वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय परिषद् (जे० सी० एम०) की सिफारिशों जिन्हें सरकार ने मान लिया था, के आधार पर सामान्य पूल वास के लिए पात्र बना दिया गया है ।

(घ) जब तक, अपना मकान वाले कर्मचारी सामान्य पूल वास के लिए पात्र हैं, वास खाली कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।